न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 123 / 2023

1 अमरसिंह पुत्र बुजनराम जाति जाट निवासी रूपा का बास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.। फौत

1/1 नरेन्द्र पुत्र अमरसिह

1/2 नवीन कुमार पुत्र अमरसिंह

1/3 गीता पत्नी स्व. अमरसिंह जाति जाट निवासी रूपा का बास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 नेकीराम पुत्र छोटूराम
2 फतेहसिंह पुत्र छोटूराम
3 बीरसिंह पुत्र छोटूराम
4 चरण सिह पुत्र मालीराम
5 प्रताप सिंह पुत्र मालीराम
6 सावित्री पत्नी मालीराम
7 पतासी पत्नी मालीराम
8 जयपाल सिंह पुत्र महादा
9 जयसिंह पुत्र महादा
10 रामजीलाल पुत्र महादा
11 सांवल पुत्र महादा
12 मोहर सिंह पुत्र देवकरण
13 हिम्मद सिंह पुत्र देवकरण
14 ग्यारसी देवी पत्नी मोहरसिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण रूपा का बास तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

15 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई जिला झुन्झुनू जरिए शाखा प्रबंधक

16 तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.08.2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय (एसडीओ)
खेतड़ी मु.नं. 87/2021 अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री हरीशचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 87/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नें घोषणा व विभाजन का वाद प्रस्तुत कर ग्राम रूपा का बास पटवार हल्का हरडिया की भूमि खसरा नम्बर 100, 101, 102, 107, 108, 110, 114, 438, 439, 445, 448, 449, 452, 475, 476, 477, 478, 511, 513, 514, 515, 516, 588, 591, 600, 662/449, 113, 115, 565, 568, 570, 571,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

573 ग्राम चिचडोली पटवार हल्का हरड़िया की भूमि खसरा नम्बर 635, 636, 637, 638, 639 ग्राम चुंदाडा पटवार हल्का हरडिया की भूमि खसरा नम्बर 288, 289, 290, 291 के संदर्भ में अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.08.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर आपत्ति पर सुनकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 07.08.2023 से अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 अमर सिंह की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव में मौके पर पक्षकारों के कब्जे के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। आवासीय मकानों में रास्ता प्रस्तावित कर दिया गया है। विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की थी। आपत्ति का गुणावगुण पर निस्तारण किये बिना सरसरी तौर पर आपत्ति खारिज कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक डिक्री को अपीलांट द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सूचित किया जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार आपत्ति प्राप्त कर बाद सुनवाई आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर (कैम्प झुन्झनू)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का व गिरंदावर द्वारा किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव में मौके पर पक्षकारों के कब्जे के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की आपत्ति अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह भी आपत्ति है कि आवासीय मकानों में रास्ता प्रस्तावित कर दिया गया है। विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं किया गया है। आपत्ति का गुणावगुण पर निस्तारण किये बिना सरसरी तौर पर आपत्ति खारिज कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर आपत्ति प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर